सर्वोदय का कटक सम्मेलन और सर्वोदय

बजरंगलाल अग्रवाल

मेरा सर्वोदय से कभी कोई संबंध नहीं रहा। गांधी और विनोबा के विषय में भी मुझे बहुत बाद में जानने का अवसर मिला। बचपन से ही मैं सत्य और अहिंसा का न सिर्फ पक्षधर रहा बल्कि पूरे जीवन में अनेक बार हिंसक घटनाओं का अहिंसक प्रतिरोध किया और सफलता मिली। सन् चौहत्तर पचहत्तर में जय प्रकाश आंदोलन मे मेरी सहभागिता रही और जय प्रकाश जी को भी जितना अब समझा उतना उस समय नहीं समझ पाया था। किन्तु सर्वोदय के विषय मे तो मैं पूरी तरह अनजान ही रहा।

सर्वोदय के कई लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क तथा सिद्धांत रूप से सत्य अहिंसा को आधार मानने के कारण सवादय चर्चा में मरी रूचि रही। उपर–उपर की चर्चाये सुनकर मेरे मन में सर्वोदय के संबंध में यह धारणा बनी कि सर्वोदय के लोग प्रति वर्ष भाजपा के विरोध के लिये साम्प्रदायिकता और अमेरिका विरोध के लिये स्वदेशी के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने वाले लोग हैं। ये ज.पी. आंदोलन के बाद लगातार संघर्ष से किनारा करके रचना में लगे रहते हैं। इनको व्यवस्था परिवर्तन से कुछ लेना देना नहीं। ये तो किसी तरह भा.ज.पा. को हटाने तक सीमित रहते हैं। इनमें कभी कोई वैचारिक बहस नहीं होती। जब भी कोई विचार होता है तो वह कार्य प्रणाली या सक्रियता तक सीमित हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को बोलने ही नहीं देते आदि।

मैं इस बार कटक के अधिवेशन और सम्मेलन में सात दिनों तक शामिल रहा। मैं सात दिनों तक सर्वोदय की कायप्रणाली को निकट से देखा सुना। मैं सर्वोदय की आंतरिक बैठकों में तो नहीं था किन्तु कुछ न कुछ आभास तो होता ही था। मुझे ऐसा लगा कि अब तक सुनी गई अधिकांश बाते सत्य नहीं थीं। वहाँ चर्चाऐं बहुत गंभीर हुई। सर्वोदय को घिसी पिटी लकीर पर चलाने वाले लोग कम थे और संघर्ष की दिशा में ले जाने वालों की संख्या अधिक थी। नये लोगों को प्रवेश देते समय पूरी कठोरता से छानबीन की आवश्यकता है या नये लोगों को स्वाभाविक प्रवेश दिया जाय इस पर भी दो राय दिखी और निश्चय हुआ कि नये लोगों को सर्तकता पूर्वक किन्तु अधिक से अधिक साथ लिया जाय। बताया गया कि पूरे भारत में सर्वोदय मित्रों की कुल संख्या दस हजार से भी बहुत कम है। इसे एक वर्ष में बढ़ाकर एक लाख करना है। इसी तरह सम्मेलन में रूढ़िवादी लोग भी बिल्कुल अलग थलग दिखें।

अधिवेशन कक्ष में मैंने देखा कि एक बहुत प्रमुख सर्वोदयी नेता मेरे पास आकर बहुत नाराज होते हुए बोले कि आपने अपने ज्ञान तत्व में गांधी जी, विनोबा जी, जयप्रकाश जी के विचारों की आलोचना कैसे कर दी। मैं उन्हें कुछ समझाता उसके पूव ही वे बहुत नाराज होने लगे। वे सज्जन क्रोध से कॉप रहे थे। उन्होंने बड क्रोध में कहा कि जब गांधी जी विनोबा जी जयप्रकाश जी के विषय में जानत नहीं हो तो लिखते क्यों हो? मैंने महसूस किया कि उनकी दृष्टि में गांधी जी विनोबा जी जयप्रकाश जी उसी तरह उन जैसे लोगों के अपने हो गये हैं जिस तरह इस्लाम के लिये मुहम्मद और संघ परिवार के लिये राम और कृष्ण। अब इन अधिकृत लोगों को छोड़कर कोई अन्य गांधी जी विनोबा जी जयप्रकाश जी की कोई चर्चा कर ही नहीं सकता। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वे उसकी गलत बातें यदि बता दें तो मैं अगले अंक में उन्हें सुधार दूंगा किन्तु वे कुछ भी सुनने के लिये तैयार नहीं थे। बाद में मुझे औरों से पता चला कि सर्वोदय में अब उनका प्रभाव नगण्य है। दूसरी ओर सर्वोदय के एक अन्य वरिष्ठ मित्र ने मेरे उसी लेख की भूरि भूरि प्रशंसा भी की और कहा कि आज सर्वोदय क विषय में जो भ्रम फैला हुआ है कि सर्वोदय गांधी जी विनोबा जी जयप्रकाश जी के विचारों का संवाहक मात्र है वह गलत है। सच्चाई यह है कि सर्वोदय सत्य और अहिंसा के मार्ग से शासन मुक्ति, भयमुक्ति और शोषण मुक्ति का प्रयास करने वालों का समूह है। मैंने उनसे पूछा कि आज का सर्वोदय गांधी से इतना दूर क्यों चला गया कि गांधी जी कायरता को जघन्य अपराध मानते हुए अहिंसा को प्रतिरोध के लिये एक उपयुक्त अस्त्र मानते थे किन्तु वर्तमान सर्वोदय अपनी कायरता को छिपाने के लिये अहिंसा को ढाल बनाता है तो उन्होंने गंभीर होकर कहा कि विगत के वषा में संघर्ष से दूर भागने की प्रवृत्ति के कारण कुछ ऐसी छवि अवश्य बनी है किन्त अब शीघ्र ही सर्वोदय अपनी ऐसी छबि से मुक्ति पा लेगा।

मैंने सर्वोदय अधिवेशन में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव को अक्षरशः पढ़ा। उनके भविष्य के कार्यक्रम भी पढ़े। मुझे लगा कि पारित प्रस्ताव पूरी तरह आशाजनक था, लीक से हटकर था तथा शासन मुक्ति की दिशा में गंभीर प्रयास था। प्रस्ताव पढ़कर कहीं ऐसा आभास नहीं होता कि संघ या अमेरिका को गाली देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करने का प्रयास किया गया हो बल्कि बहुत ही सोच समझकर और संतुलित प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव से ही लगता है कि उस पर कार्य समिति में गंभीर मंत्रणा हुई होगी। इससे यह आशंका भी निमूल सिद्ध होती है कि सर्वादय में विचार मंथन का अभाव है। कुल मिलाकर इस सम्मेलन से मरी कई आशंकाऐं दूर हुई हैं।

मैं पूरी तरह मानता हूँ कि संघ परिवार की सोच भारत को कट्टर साम्प्रदायिकता की ओर ले जा रही है किन्तु मैं सर्वोदय की इस कार्यप्रणाली से कभी सहमत नहीं रहा कि संघ का अवैज्ञानिक विरोध उसकी बाढ को रोक पायेगा। मेरा तो ऐसा मानना रहा है कि हमें आम तौर पर और विशेष कर धर्म निरपेक्ष हिन्दुओं को आश्वस्त करना होगा कि सर्वोदय मुसलमानों का पिछलग्गू नहीं है बल्कि धर्म निरपेक्ष है। हम इस मामले में साम्यवादियों के चक्कर में पड़कर ऐसा संघ परिवार विरोध का अभियान शुरू करते ह कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण सरीखा दिखने लगता है। मैंने सर्वोदय में यह महसूस किया कि सर्वोदय के अधिकांश लोग मेरी सोच से सहमत हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोदय के कुछ लोगों की कार्यप्रणाली से आम हिन्दुओं में जो भ्रान्ति घर कर रही है और जिसका लाभ संघ परिवार उठा रहा है वह भ्रान्ति भी दूर करने में हम शीघ्र ही सफल होंगे।

स्वदेशी के विषय में मेरा भ्रम अब तक दूर नहीं हो सका। मैंने सर्वोदय के कई मित्रों से जानना चाहा कि हम विदेशी कलम या विदेशी साबुन के उपयोग को भारत के लिये घातक मानते ह तो हम विदेशी स्त्री से विवाह को स्वदेशी कैसे मान लें तो इस प्रश्न का सीधा उत्तर कोई नहीं दे पाया। मैं चाहता हूँ कि स्वदेशी मुद्दे पर और व्यापक विचार मंथन की आवश्यकता है। विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग निश्चित रूप से लाभकारी होगा इसमें दो राय नहीं किन्तु भारत की वर्तमान प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु इसे एक मुद्दा बना लें तो वह कितना प्रभावी होगा इसमें बहुत संदेह है। हमारी सफलता तब और भी संदिग्ध हो जाती है जब हमें संघ परिवार के विरूद्ध लड़ने वाले संगठन का मुखिया ही विदेशी मूल का मिल जावे। अतः इस मद्दे पर और विचार करना चाहिये।

सम्मेलन म तीन चार हजार लोग शामिल थे। जुलूस भी अच्छा था। चर्चाऐं भी बहुत व्यवस्थित थीं। सम्मेलन की उपस्थिति चर्चा, प्रस्ताव और कार्यक्रमों को देखकर मेरी अनेक धारणाऐं बदली हैं। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि सर्वोदय में कुछ निर्णायक परिवर्तन की क्षमता है तथा कटक अधिवेशन ने आम लोगों का ऐसी क्षमता का आभास कराया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोदय में वर्तमान कुछ रूढ़िवादी धीरे धीरे मुख्य धारा में आ जावेंगे। और सर्वोदय पुनः शासन मुक्ति की दिशा में सफल संघर्ष का नेतृत्व करने में सफल होगा।

प्रश्नोत्तर

1 राम सेवक गुप्ता, रामानुजगंज

स्वराज्य के भटकते कदम लेख में आपने कई अच्छी बातें लिखीं। आप गांधी जी, विनोबा जी और जयप्रकाश जी के स्वराज्य संबंधी विचारों को थोड़ा और स्पष्ट करें। आप और ठाकुरदास जी बंग दोनो ही प्रबुद्ध विचारक हैं। क्या लोक स्वराज्य के संबंध में आप दोनों के विचार एक हैं?

उत्तर– दो विचारकों के विचार कभी एक नहीं होते। विचारों में अधिक समानता हो सकती है किन्तु कुछ न कुछ भिन्नता भी स्वाभाविक है। बिल्कुल समानता तो अनुयायी में ही संभव है। विचारों को किसी परिणाम तक पहुॅचाने के लिये सामंजस्य की आवश्यकता होती है। दूसरा यह भी है कि विचारकों को विचार मंथन के बाद अपने विचारों में संशोधन करके सत्य को ग्रहण करने के लिये तैयार रहना चाहिये। आम तौर पर विचारक दूसरे के विचारों को सुनते नहीं और यदि सुनते भी हैं तो येन केन प्रकारेण दूसरे के विचारों का खंडन करके असत्य को सत्य सिद्ध करते हैं। ठाकुरदास जी बंग इन बाधाओं से मुक्त हैं। मैं भी ऐसा ही प्रयास करता हूॅ। अतः हम दोनों के विचारों में कोई अन्तर नहीं दिखता।

मैंने अपना प्रारंभिक मार्गदर्शन दयानंद के विचारों से ग्रहण किया है और बंग जी ने महात्मा गांधी से। स्वामी दयानंद ने अपने प्रमुख विचारों में ही सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने का आदेश दिया था। गांधी जी ने भी अपने नीति निर्देशक तत्वा में सत्य को प्रथम स्थान दिया। दोनों ही महापुरूष यह मानते रहे कि सत्य को स्वीकारना तथा तदानुसार आचरण करना उनके अनुयायिओं का प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने तो यहॉ तक कहा है कि कभी साधक के निष्कर्ष तथा महापुरूष के कहे वचनों के बीच भ्रम उत्पन्न हो तो साधक का कर्तव्य है कि ऐसे निष्कर्ष को विवादास्पद समझ कर उस पर और गंभीर मंथन करें और तब भी यदि साधक के अपने निष्कर्ष ही सत्य दिखें तो महापुरूष के कथन की अपेक्षा अपने निष्कर्ष को ही सत्य मानना और उस पर आचरण करना चाहिये। मै तो पूरी तरह स्वामी जी के इस विचार को मानता हूॅ तथा बंग जी को बुलाकर पूछा था कि आप किस महापुरूष के कथन को प्रमाण मानते हैं तो बंग जी ने उत्तर दिया कि महापुरूषों के वचन मार्ग दर्शक होते हैं प्रमाण नहीं। अन्तिम सत्य तो वहीं है जा स्वयं द्वारा निष्कर्ष निकाला जावे। मैं पूरी तरह अश्वस्त हूॅ कि बंग साहब के लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट हैं, मार्ग अहिंसा और सत्य पर आधारित है, भावनाओं पर विवेक को वरियता देते हैं, सिद्धांतों के व्यावहारिकता के साथ सामंजस्य है और सबसे बडो बात यह है कि वे संगठन के गुण दोषों से पूरी तरह परिचित हैं। मुझे बंग जी के नेतृत्व में काम करने में कोई कठिनाई नहीं है। आपने गांधी विनोबा और जयप्रकाश के स्वराज्य संबंधी विचारों पर मत भिन्नता जाननी चाही। इसका उत्तर पिछले अंक में गया है। गांधी जी शासन के अधिकार दायित्व और हस्तक्षेप को कम करने के साथ–साथ ग्राम स्वावलम्बन, शराब बन्दी, चरित्र निर्माण, आदि आदर्श गाम के कार्यो को भी समान महत्व देते थे। विनोबा जो ग्राम स्वावलम्बन, शराब बन्दी, ह्रदय परिवर्तन, चरित्र निर्माण, आदि पर विशेष जोर देते थे और शासन के अधिकार दायित्व और हस्तक्षेप कम करने के प्रमाणों पर कम। जयप्रकाश जी शासन के अधिकार दायित्व और हस्तक्षेप कम करने को अधिक महत्व देते थे और ग्राम स्वावलम्बन शराब बंदी आदि को कम। गांधी जी राजनीति पर समाज का अंकुश आवश्यक मानते थे और उसके लिये संघर्ष करना अपना दायित्व मानते थे जबकि विनोबा जी शक्तिशाली समाज निर्माण पर जोर देते थे और राजनीतिक टकराव से बचते थे। विनोबा जी राजनीति पर नियंत्रण के प्रयासा को भी राजीनति के अन्तर्गत मानते हुए ऐसी राजनीति से बचने की सलाह देते थे। जयप्रकाश जी राजनोति पर समाज के अंकुश के प्रयासों को अपना कर्तव्य न मानकर दायित्व मानते थे। स्वराज्य की परिभाषा गांधी जी की अपेक्षा विनोबा जी की अधिक स्पष्ट और विनोबा जी की अपेक्षा जयप्रकाश जी की और अधिक स्पष्ट थी किन्तु स्वराज्य के लिये किये गये प्रयत्न विनोबा जी की अपेक्षा गांधी जी के अधिक स्पष्ट थे। जयप्रकाश जी के प्रयत्न इन दोनों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हुए भी स्पष्ट कार्य योजना के अभाव में नेताओं की भेंट चढ़कर सत्ता परिवतन में बदल गये। इस संबंध में इन तीनों में गांधी जी को बहुत सुलझा हुआ योजनाकार कहा जा सकता है। मेरे व्यक्तिगत विचार में गांधी जी व्यवस्था परिवर्तन के पक्षधर थे, विनोबा जी व्यवस्था के सुधार के पक्षधर और जयप्रकाश जी को आन्देालन के बाद स्वतः निर्णय का समय ही नहीं मिलने से कुछ कहना कठिन है। दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो हम कह सकते है कि गांधी जी समाज की बुराइयों को दूर करने तथा समाज की सुरक्षा के उपायों का प्राथमिकता देते थे और विनोबा जी समाज को आदर्श और शक्तिशाली बनाने पर जोर देते थे।

एक और प्रश्न है कि भूल कहां हुई। मेरे विचार में विचारक यदि क्रिया में आ जाता है तो विचार शक्ति कम हो जाती है। गांधी जी इसके अपवाद थे। क्रिया के बाद भी उनकी निर्णय करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ा। गांधीजी के बाद विनोबा जी और जयप्रकाश जी के बीच सामंजस्य नहीं बना। विनोबा जी को मार्गदर्शक तथा जयप्रकाश जी को सकिय होना उचित था। किन्तु विनोबा जी ही बहुत सकिय हो गये जिससे जय प्रकाश जी को काम करने का अवसर नहीं मिल पाया। मेरे विचार में यह भूल हुई।

अशोक कुमार, राजगढ़, मध्यप्रदेश

प्रश्न – आपने आरक्षण की अच्छी व्याख्या की। आरक्षण हजारों वर्षो की सामाजिक बुराई के रूप में बताकर आपने नई बात बताई। यह बात सच भी है। आरक्षण समाप्त होना ही चाहिये। किन्तु महिलाओं के आरक्षण का विरोध करना ठीक नहीं। आज समाज में महिलाऍ बिल्कुल पिछडो हुई है। महिलाओं पर बलात्कार की घटनाऍ लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि अब बलात्कार की घटनाऍ क्यों बढ़ रही हैं तथा इसका क्या उपाय है? सिर्फ महिला आरक्षण का विरोध मात्र कर देना ही कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप आरक्षण के अभाव में महिलाओं पर होने वाले दुष्प्रभाव पर भी तो विचार कीजिए।

उत्तर– आपने प्रश्न को बहुत लम्बा कर दिया। बलात्कार, आरक्षण और महिला सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ दिया। इससे संक्षिप्त उत्तर भी लम्बा हो जाएगा।

किसी पुरूष द्वारा किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध ही बलात्कार है। बलात्कार महिला के मूल अधिकारों का उल्लंघन है तथा अपराध है। बलात्कार किसो भी सभ्य समाज का कलंक होता है। बलात्कार के चार कारण होते हैं। 1. पुरूष की शारीरिक आवश्यकता 2. पुरूष की मानसिक इच्छा जागृति 3. पूर्ति की कमी 4. भय की कमी। ये चारों परिस्थितियॉ इकट्ठी होने के बाद हो बलात्कार की घटनाऍ बढ़ती हैं। दुर्भाग्य से वर्तमान स्थिति में चारों ही परिस्थितियॉ विपरीत हैं। सामान्यतया पुरूष की शारीरिक आवश्यकता अठारह वर्ष की उम्र मानी जाती है। प्राचीन समय में कम उम्र में विवाह हो जाने से यह समस्या पैदा नहीं होती थी किन्तु अब विवाह की उम्र बहुत बढ़ गई। विवाह की उम्र घटाकर इस समस्या का समाधान उचित नहीं है। प्राचीन समय में सामाजिक परिवेश सात्विक होने से मानसिक इच्छाऍ विलम्ब से जन्म लेती थीं किन्तु अब सामाजिक परिवेश तामसी हो गया। भोजन की विकृति तथा अश्लील चित्र दर्शन ने मानसिक इच्छाओं को समय के पूर्व ही जगाना शुरू कर दिया। इस सामाजिक परिवेश को रोकना संभव नहीं है। तीसरा मार्ग है भय में वृद्धि। भय तीन प्रकार के होते हैं 1. ईश्वर का 2. समाज का 3. शासन का। ईश्वर का भय समाप्त हो गया। समाज का कोई स्वरूप ही नहीं है। सिर्फ शासन का भय बचता है जो लगातार घटता जा रहा है। चौथा मार्ग है सहज पूर्ति का जिसके लिये वैश्यावृत्ति का मार्ग अपनाया जाता है। वैश्यावृत्ति भी सभ्य समाज में अच्छी बात नहीं मानी जाती।

किसी प्राकृतिक प्रवाह को बल पूर्वक रोकने के प्रयास सदा दुखदायी होते है। हम बलात्कारों को सिर्फ भय के माध्यम से रोकना चाहते है यह संभव नहीं है। मेरे विचार मे जिन लोगों ने वेश्यावृत्ति को कानून से रोकने का कानून बनाया उन्हें समाजशास्त्र को कोई ज्ञान नहीं था। अव्यावहारिक लक्ष्य निर्धारण चरित्र पतन में भी सहायक होते है और अव्यवस्था भी उत्पन्न करते है। विवाह की उम्र में वृद्धि तथा समाजिक परिवेश उच्चश्रखला होने के बाद भी वेश्यावृत्ति रोकने के कानून क्यो बनाये गये यह समझ में नही आता। जो सरकार बलात्कारों को नहीं रोक पा रही है वह अपनी शक्ति वेश्यावृत्ति रोकने पर खर्च करे यह तो और भी अधिक अव्यावहारिक है। बलात्कारों को रोकना शासन का दायित्व है आदर्श नहीं। किन्तु वेश्यावृत्ति रोकने पर खर्च करे यह तो और भी अधिक अव्यावहारिक है। बलात्कारों को रोकना शासन का दायित्व है आदर्श नहीं। किन्तु वेश्यावृत्ति रोकना शासन का आदर्श है दायित्व नहीं। बलात्कार जैसे अपराधों पर सफल नियंत्रण करने वाली सरकार यदि वेश्यावृत्ति रोकने पर विचार करती तब तो कुछ सोच भी जा सकता था किन्तु अपने दायित्व पूरा करने में ही असफल सरकार को वेश्यावृत्ति रोकने का काम अपने उपर नहीं लेना चाहिये था। मरे विचार में स्वतंत्रता के बाद सत्ता में आये बूढे लोगों ने तो समाजशास्त्र के विद्वानों से विचार विमर्श किया और न ही अपनी प्रशासनिक क्षमता का आकलन किया तथा अति उच्च आदर्शवादी कानून बना डाले। समाजशास्त्र का स्पष्ट सिद्धांत है कि लक्ष्य जितना ही अधिक अव्यावहारिक हागा उतना ही चरित्र पतन भी करेगा तथा अव्यवस्था भी पैदा करेगा। यही हमारे साथ हुआ। अब भी यदि हम बलात्कारों में कमी चाहते हैं तो वेश्यावृत्ति पर से कानूनी प्रतिबंध हटाकर यह कार्य समाज के जिम्मे छोड़ देना चाहिये। समाज अपनी स्थानीय इकाइयों के माध्यम से उचित समझगा तो रोकने का प्रयास करेगा किन्तु शासन को तो इस दायित्व से पूरी तरह मुक्त होकर अपनी सारी शक्ति बलात्कारों की रोकथाम पर लगानी चाहिये।

आपने महिलाओं पर अत्याचार तथा आरक्षण का पक्ष लिया। हमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि समाज किन इकाइयों का संघ ह? समाज की इकाइयॉ व्यक्ति, परिवार, गॉव, जिला, प्रदेश, राष्ट्र है या हिन्दू, मुसलमान, इसाई, सिख आदि अथवा स्त्री और पुरूष। मेरे विचार में व्यक्ति परिवार गॉव से राष्ट्र तक की कड़ी को व्यवस्था की इकाइयॉ मानना अधिक उपयुक्त है। किन्तु हमारे संविधान निर्माताओं ने इनको इकाई मानने के साथ साथ धर्म को भी इकाई मान लिया और स्त्री पुरूष को भी। शासन को न तो किसी धर्म के किसी मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये था न ही परिवार के आंतरिक मामले में। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर शासकीय हस्तक्षेप ने समाज में वर्ग उत्पन्न कर दिये जिसके परिणाम स्वरूप परिवार, गॉव आर समाज की संरचना को क्षति हुई।

अब तक भारत में अधिकांश परिवारों में पुरूष प्रधान व्यवस्था चल रही है। इस व्यवस्था में कुछ दोष उत्पन्न हुए जिसके कारण महिलाओं को परिवारो में समान अधिकार नहीं मिल सके। महिलाओं को परिवारों में तो समान अधिकार प्राप्त नही हैं यह सच है किन्तु महिलाओं को समाज में समान अधिकार पाप्त नहीं है यह पूरी तरह गलत है। मेरे आकलन में तो महिलाओं को समाज में पुरूषों की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता है। अतः महिलाओं के विषय में सोचते समय उनकी पारिवारिक स्थिति पर ही सोचना उचित होगा।

महिला आरक्षण समाज में तथा परिवार में महिलाओं की स्थिति मजबूत करेगा यह सच है। किन्तु परिवार में महिला और पुरूष को अलग अलग मजबूत करने के प्रयास परिवारों की आन्तरिक संरचना को कमजोर भी करेगा। पति पत्नी के बीच अविश्वास की वृद्धि की कीमत पर महिला सशक्तिकरण करना कितना उचित होगा यह सोचना भी आवश्यक है। महिला आरक्षण परिवारों में तो टूटन का आधार बनेगा ही साथ साथ समाज में भी असंतुलन पैदा करेगा। अब सरकारी नौकरी या राजनैतिक पद धीरे धीरे कुछ परिवारों तक ही सिमट जा रहे हैं। पहले यदि लाभ के पदों पर पंद्रह प्रतिशत परिवारों के लोग पहुॅच पाते थे तो अब वे लाभ के पद दस परिवारों में ही सिमट रहे हैं। महिला आरक्षण की बात करने वालों को यह और भी जोड़ना चाहिये कि लाभ के पदों पर किसी एक हो परिवार के दो व्यक्ति न आ सकें। तब तो अन्य परिवारों के साथ न्याय होगा। मैं यदि सांसद हूॅ और मेरी पत्नी आरक्षित कोटे से विधायक बन जावे तो मेरी पड़ोसन को कितनी प्रसन्नता होगी? ऐसा करके पड़ोसन के सशक्तिकरण की बात करने वाले भ्रम में हैं। मेरी पड़ोसन को इससे अधिक प्रसन्नता तो अपने पति के विधायक बनने पर होती। समाज में बिना सोचे समझ कुछ भी प्रयोग करना घातक परिणाम देगा। अतः मेरे विचार में महिला सशक्तिकरण के लिये महिला आरक्षण का विचार घातक भी है और अनावश्यक भी। इसके लिये अन्य कोई मार्ग देखना चाहिये।

महिलाआ को सम्पत्ति में यदि समान अधिकार मिल जाये तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बदल सकती है। वर्तमान समय में सम्पत्ति के जो अधिकार दिये जा रहे हैं वे अस्वाभाविक भी हैं और विवादास्पद भी। सिर्फ एक छोटा सा संशोधन पर्याप्त है कि परिवार ग्राम सभा में पंजीकृत हों तथा परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति में परिवार के पत्येक सदस्य का बराबर अधिकार हो। महिला जब तक पिता के परिवार में है तब तक उसका उसमें समान अधिकार हो और जब वह पति परिवार में जाय तो उसका समान अधिकार पति परिवार की सम्पत्ति में हो। इस एक संशोधन से महिला सशक्तिकरण भी हा जायेगा, महिला आरक्षण भी आवश्यक न हीं होगा तथा सम्पत्ति संबंधी अन्य जटिलताऍ भी दूर हो जावेंगी। मैंने न्यायालयों में देखा है कि आधे से अधिक मुकदम सम्पत्ति संबंधी चलते रहते हैं। इस संशोधन के बाद ये मुकदमें नही रहेंगे क्योंकि सम्पत्ति न व्यक्तिगत रहगी न ही उसका कोई वारिस होगा। सम्पत्ति परिवार की होने से किसी की मृत्यु या जन्म से कोइ विशेष विवाद नहीं रहेगा। इस तरह महिलाओं को परिवार में धोरे धीरे मजबूत किया जा सकता है।

अब तक दुनिया में तीन संस्कृतियॉ काम करती रही हैं 1. भारतीय संस्कृति जिसमें पुरूष प्रधान परिवार व्यवस्था बनाकर समाज में महिलाओं को विशेष अधिकार दिये गये तथा इस तरह दोना को समान किया गया 2. मुस्लिम संस्कृति जिसमें पुरूष प्रधान व्यवस्था बनाकर महिलाआ को पुरूष आश्रित बना दिया गया। हिन्दू संस्कृति में महिलाओं और पुरूषों का संबंध विच्छेद की प्रकिया रखी ही नहीं गई जबकि मुसलमानों में इसे एक पक्षीय पुरूषों के पक्ष में रखा गया। 3. पाश्चात्य संस्कृति जिसमें महिला और पुरूष को अधिक से अधिक समान स्तर देने का प्रयास हुआ। किन्तु किसी भी संस्कृति में महिला आरक्षण जैसा विवादास्पद प्रावधान नहीं सोचा गया। भारत में यह प्रावधान बनाकर महिला सशक्तिकरण का एक भिन्न प्रयास हो रहा है जो उचित नहीं। अतः मैं महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हूॅ किन्तु मैं परिवार के पारिवारिक मामलों में शासन या कानूनों के अधिक हस्तक्षेप को घातक मानता हूॅ। अतः मेरे विचार म महिला आरक्षण का विचार छोड़कर महिला सशक्तिकरण के प्रयास किया जाना भी उचित है।

3. **श्री महेन्द्र जोशी 30 ए गोपाल नगर अमृतसर 14300 ।**

अंक उन्हत्तर में ठाकुरदास बंग तथा आपकी सफल यात्रा से खुशी हुई। आगामी महिनों में शिविर सम्मेलन की योजना से और आशा की किरण जगी है। सम्मेलनों के बाद जुलाई में देश भर के सभी जिले के लोग बैठकर आगे की योजना बनायेंगे यह जानकर और संतोष हुआ कि आप विचार विनिमय को आधार बनाकर आगे की दिशा तय कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि वर्तमान व्यवस्था के दो दाष राजनैतिक भ्रष्टाचार और राजनोति में अपराधियों के बढ़ते पारूप के विरूद्ध प्रबल जनमत जागृत करें। इस निमित्त आप प्रत्येक शिविर/सम्मेलन के बाद एक बड़ी सभा रखकर वर्तमान राजनेताओं तथा चुनाव उम्मीदवारो को इसके विरूद्ध प्रेरित करें। चुनाव आयोग तथा सरकार से भी सम्पर्क करें जिससे वे ऐसा बिल पास करने की ओर कदम बढ़ा सकें।

उत्तर– आपके सुझाव महत्वपूर्ण हैं। शिविरों के कार्यकम में प्रत्येक जिले तक पहूॅचने में दो वर्ष का समय लगता जो बुत विलम्ब हो जाता। अतः योजना में परिवर्तन करके आगामी जुलाई के पूर्व ही पूरे भारत के हर जिले तक जाने की योजना है। योजना का प्रारूप इसी अंक में जा रहा हैं। मुख्य कार्यक्रम आम सभा या आम मीटिंग का ही है। अब आयोजकों की क्षमता और सकियता पर निर्भर है कि वे कैसी सभा कराते है।

दो दोष आपने बताये हैं। ये दोष अत्यन्त गंभीर प्रकृति के हैं किन्तु ये दोनों दोष सत्ता के केन्द्रीयकरण के स्वाभाविक परिणाम हैं, कारण नहीं। इन दोनों का मूल कारण केन्द्रित शासन व्यवस्था है। हम सत्ता को विकेन्द्रित या अकेन्द्रित किये बिना इन्हें रोक नहीं सकते। वर्तमान शासन व्यवस्था ने

इतने अधिक दायित्व अपने उपर ले लिये हैं कि उसे बहुत अधिक अधिकार अपने पास रखने पड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता का हस्तक्षेप भी समाज में बहुत बढ़ जाता है। यही भ्रष्टाचार तथा अपराधों को जन्म देता है। यदि सत्ता अपने दायित्व न्यूनतम कर दे तो उसके अधिकार तथा हस्तक्षेप स्वय मे कम हो जायेंगे तथा शासन के पास भ्रष्टाचार एवं अपराध रोकने हेतु अधिक शक्ति मिलेगी। हम लोग इसी दिशा में सक्रिय हैं।

श्री राम सनेही शर्मा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।

प्रश्न – मैंने नीतिमार्ग पत्रिका पढ़ी। बहुत पसंद आई। उस पत्रिका में ब्रम्हादेव जी शर्मा द्वारा प्रस्तुत लेख में अनेक जनसंगठनों तथा गांधीवादी चिन्तकों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किये गये राष्ट्र निर्माण अभियान के संदर्भ में जारी संकल्प पत्र का इस तरह उल्लेख है –

(1)हम अपने भारत राष्ट्र की आजादी और उसक गौरव की रक्षा करेंगे।
(2) हम सहभागी लोकतंत्र और अकेन्द्रित व्यवस्था की स्थापना करेंगे।
(3) बराबरी हमारो अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र होगी। हम हर तरह की गैर बराबरी को खत्म करेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यतः श्रम पर आधारित होगी। हर तरह के श्रम का मूल्य बराबर होगा। हम हर तरह की बिना मेहनत की कमाई खत्म करेंगे। हम हर तरह की सम्पत्ति पर कठोर सीमा लगाएंगे।
(4)हम सामाजिक जीवन में मानवीय मूल्यों को उनके प्रति आस्था आर निष्ठा के साथ स्थापित करेंगे। हम अपने समाज से जातिगत उत्पीड़न भेदभाव तथा अस्पृश्यता के कलेश को जड़ से मिटाएंगे।

(5)हम जीवन के हर क्षेत्र में मैं की जगह हम शब्द स्थापित करेंगे।

उक्त लेख में और भी बहुत सी बातें लिखी गई हैं। इसी पत्रिका में एक दूसरा लेख विनय भाई का भी है। उन्होंने आदर्श समाज रचना को लक्ष्य बनाकर चार कार्यो का सुझाव दिया है –
(1)लोक शिक्षण (2)लोक संगठन (3)लोक रचना(4)लोक संघर्ष। विनय भाई के अनुसार बापू के इन चार प्रयासों में से प्रथम पर बहुत काम हुआ किन्तु द्वितीय अर्थात् लोक संगठन पर काम नहीं हुआ जो होना चाहिये। यह बात सही है कि सत्ता का विकेन्द्रिकरण हो जाये तो सत्ता लोलुप नेताओं के दिन लद जावेंगे किन्तु जब तक वैसा आन्दोलन खत्म नहीं होता तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठने की अपेक्षा अपने अपने क्षेत्र में ऐसे सत्यागाही जत्थे गठित करें जो समाज में बुराइयों के विरूद्ध नैतिक साहस मजबूत करें।

उक्त पत्रिका में काका साहब कालेलकर के भी विचार छपे हैं। उन्होंने लिखा है कि राजसत्ता ने दुनिया का जितना भला किया है उससे ज्यादा क्षति ही की है। अतः हमें राजसत्ता से मुक्ति का प्रयास करना चाहिये।

इन तीनों विद्वानों ने आदर्श समाज संरचना के मार्ग बताय हैं। आप जो काम कर रहे हैं वह इन्हीं प्रयासो की एक कड़ी है अथवा कुछ भिन्न। आप इन विद्वानों क विचारों से कहाँ तक सहमत हैं?

उत्तर– नीति मार्ग में लिखे गये तीनों ही लेख बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण के लिये जारी संकल्प पत्र देश के अनेक सामाजिक संगठनों तथा गांधीवादी विद्वानों द्वारा गंभीर चिन्तन मनन के बाद तैयार किया गया है जो आदर्श समाज रचना के लिये बहुत महत्व का है। मैं इन विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। किन्तु जब मैं इन विद्वानों की क्षमता का आकलन करता हूँ तो स्वयं को बहुत ही अल्प शक्ति पाता हू। अतः मैंने आदर्श समाज रचना जैसे बहुत बड़े और परिणामदायी प्रयासों में हाथ न डालकर सिर्फ शासन मुक्ति तक स्वयं को सीमित कर लिया है। युद्ध भूमि में पैदल सेना और हवाई आकमण एक दूसरे के पूरक होते हैं। अन्य विद्वान समाज निर्माण का जो प्रयास कर रहे हैं वह लक्ष्य प्राप्ति का पैदल आक्रमण है और मैं जो शासन मुक्ति का प्रयास कर रहा हूँ वह हवाई। अन्य विद्वान समाज की अनेक बीमारियो के प्रयत्क्ष इलाज मे व्यस्त है और मैंने सिर्फ एक सूत्रोय पेट सफाइ को ही बीमारियों की जड का इलाज मान कर काम शुरू किया है। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले पचास पचपन वर्षो से समाज निर्माण का काम करने का भरपूर पयास हुआ है और हो रहा है किन्तु शासन मुक्ति के कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए। मैं उस दिशा में सक्रिय होकर उस कमी को पूरा करना चाहता हूँ। संकल्प पत्र में ठीक ही लिखा है कि हम इस तरह के परिवर्तन करेंगे। किन्तु मैं ऐसी कोई घोषणा इसलिये नहीं करता कि मेरा कार्य एक सूत्रीय है ''शासन के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप न्यूनतम होने के पक्ष में जनमत जागरण। मेरी ऐसी मान्यता है कि संकल्प पत्र में वर्णित अनेक कार्यो में जहॉ जहॉ करेंगे शब्द लिखा है वह सब शासन मुक्ति के बाद स्वतः हो जायेगा। शासन मुक्ति के अभाव में ये परिणाम प्राप्त करने में मुझे संदेह है। मेरे विचार से शासन मुक्ति के प्रयास इन परिणामों तक पहुॅचने में बहुत सहायक होंगे। यही कारण है कि लोक स्वराज्य मंच का अभियान या संकल्प पत्र अनेक धाराओं, पृष्ठों या घोषणाओं का न होकर सिर्फ एक लाईन का है कि शासन के अधिकार दायित्व तथा हस्तक्षेप न्यूनतम होने के लिये जनमत जागरण''।

प्रश्न– भारत की राजनीति में दिलीप सिंह जूदेव को काफी सम्मानजनक स्थान प्राप्त रहा हैं। पिछले दिनों उन्हें शराब पीते तथा पैसा लेते हुए टी.वी. में स्पष्ट दिखाया गया। तहलका कांड को भारतीय जनता पार्टी ने लीप पोत दिया। अब दिलीप सिंह प्रकरण के बाद तो भाजपा को शर्म नहीं आती?

उत्तर– राजनीति में जो भी व्यक्ति सक्रिय हैं उनसे शर्म या इमानदारी की अपेक्षा करना आपका भोलापन प्रदर्शित करता है। इने गिने दस पांच लोग ही बचे होंगे जो राजनोति में व्यक्तिगत रूप से इमानदार होंगे। अन्यथा कुछ लोग खुले रूप से भष्टाचार करते हैं और कुछ छिपकर। कुछ लोग इतने धूर्त हैं कि करोड़ों रूपये का भारी भरकम भ्रष्टाचार करके भी बेशर्मी से स्वयं को इमानदान कहते हैं और कुछ नौ सिखिये हैं कि भ्रष्टाचार सीखने के कम में ही जाल में फंसकर अपराध भाव से ग्रसित हो जाते हैं। दिलीप सिंह जूदेव इने गिने दस पॉच लोगों की श्रेणी में न पहले शामिल थे न ही अब हैं अन्यथा उनमें इन दो कमजोरियों के अतिरिक्त जो अनेक गुण हैं उनके आधार पर उन्हें बहुत पहले ही राज्य मंत्री से बहुत उपर के पद पर होना चाहिये था।

दिलीप सिंह जी की शराब की कमजोरी का लाभ उठाकर उनकी छिपी हुइ कमजोरी को उजागर कर दिया गया। भारत की सामान्य राजनीति के भ्रष्टाचार के स्तर से बहुत अधिक ईमानदार व्यक्तित्व सतर्कता के अभाव मे धूर्तो की चालाकी म फंस गया। सम्पूर्ण भारत में तहलका एक ने सम्पूर्ण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया और अटल जी की छवि को भी नुकसान हुआ किन्तु तहलका कमांक दो पूरे भारत तो क्या छत्तीसगढ़ पर भी असर नहीं डाल सका। क्याकि दोनों तहलका में अन्तर था। पहला तहलका न तो किसी स्वार्थ वश था न ही उसमें कोई प्रत्यक्ष राजनीति ही थी। वह तहलका खोजी पत्रकारिता का एक साहसिक प्रयास था। उस तहलका की योजना बनाने वालों की कोई अपनी खराब छवि नहीं थी। इस तहलका के पीछे आम लोगों को स्वार्थ भी दिखा और राजनीति भी। और सबसे बड़ी आम बात यह रही कि इस तहलका की योजना बनाने वालों का चरित्र घूस लेने वाले दिलीप सिंह जूदेव से भी कई गुना अधिक गिरा हुआ था और छत्तीसगढ़ के लोगों के दिल दिमाग में योजना बनाने वालों की प्रत्यक्ष छवि होने से वह दिलीप सिंह के प्रति संदेह तक सीमित रह गई। यही कारण रहा कि भा.ज.पा. को इतने बड़े प्रकरण के बाद भी काई व्यापक क्षति नहीं उठानी पड़ी। गलत व्यक्ति द्वारा ठीक व्यक्ति के विरूद्ध आरोप सच होने के बाद भी कभी कभी नुकसान दायक हो सकता है यह बात इस प्रकरण से सिद्ध थी।

लोक स्वराज्य यात्रा

प्रश्न ज्ञान तत्व के पिछले अंक में यात्रा का प्रस्तावित स्वरूप भेजा गया था। कटक में उसे अंतिम रूप दिया गया जो इस प्रकार हैं :–

1. उक्त यात्रा का नाम लोक स्वराज्य यात्रा होगा।
2. यात्रा तीस जनवरी को दोपहर राजघाट दिल्ली से प्रारंभ होकर दयानन्द के निर्वाण स्थल अजमेर मे समाप्त होगी।
3. यात्रा दिल्ली, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हरियाणा, हिमांचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सभी जिलो में तथा झारखंड़, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट, मध्यप्रदेश में आंशिक रूप से कहीं कहीं जायेगो।
4. सामान्यतया प्रतिदिन दो स्थानों पर यात्रा जायेगी।
5. प्रत्येक स्थल पर एक मुख्य सभा, एक कार्यकर्ता बैठक एक पत्रकारवार्ता तथा यदि समय हो तो एक विचार मंथन सभा रख सकते है।
6. मुख्य सभा दो से सवा दो घंट की कार्यकर्ता बैठक तीस से पैंतालीस मिनट की तथा पत्रकार वार्ता या विचार मंथन सभा का परिस्थिति अनुसार समय रख सकते हैं।
7. विचार मंथन सभा के लिये एक सा विषय आपको भेजे जा रहे हैं। आप कोई भी विषय चुन सकते हैं।
8. तीनों सभाओं के स्थान पृथक भी रख सकते हैं और एक भी। आयोजक भी अलग अलग या एक हो सकते है।
9. मुख्य सभा के प्रारंभ में आयोजक की इच्छानुसार कोई छोटा अनुष्ठान और प्रार्थना भी रख सकते हैं। हमलोग तो प्रायः धरती माता के प्रतीक स्वरूप ग्लोब को माल्यार्पण तथा एक छोटी प्रार्थना ''हे प्रभो, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं दूसरों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने की इच्छा या दूसरों द्वारा स्वयं संचालित होन की मजबूरी से दूर रह सकूँ, जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन्हें अपनी सोच बदलने हेतु सहमत कर सकूँ और यदि ऐसा न हो तो ऐसे विचारों का अहिंसात्मक प्रतिरोध करूँ'' रखते हैं। आप किसी भी अन्य विधि से कर सकते हैं किन्तु वह आयोजन पांच मिनट में समाप्त करने का प्रयास करें।
10. कार्यक्रम के आयोजक के रूप में कोई भी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, व्यापारिक या अन्य संस्था हो सकती है। हमें किसी संस्था के बैनर तले आयोजन से परहेज नहीं है। आयोजक अपना या अपनी संस्था का परिचय प्रारंभ म अधिकतम सात मिनट में दे देंवे।
11. हमारे स्वागत सम्मान, परिचय तथा उपस्थित प्रमुख लोगों के परिचय में भी पांच मिनट ही लगावें।
12. यदि कार्यक्रम के कोई अध्यक्ष हों तो वे प्रारंभ में हो बोल सकते हैं। मेरे बाद नहीं। अन्यथा बिना अध्यक्ष क चल सकता है। विचार मंथन सभा यदि होगी तो उसके अध्यक्ष बाद में भी बोल सकते हैं।
13. मुख्य सभा का विषय लोक स्वराज्य क्यों? क्या? और कैसे होगा। मेरे भाषण के बाद लोग प्रश्न लिख कर दे दें। उन्हें उत्तर दिया जायेगा।
14. आमंत्रण पत्र में स्थानीय आयोजक का नाम दायीं ओर, हमारे संयोजक का नाम बीच में तथा बायीं ओर समन्वयक का नाम होगा। सबके नाम के नीचे पता और फोन नं. भी रहना चाहिये।
15. सम्पूर्ण कार्यक्रम में समाचार पत्रों तथा दृश्य मीडिया का अधिकतम उपयोग करना चाहिये।
16. सभा में आयोजक संस्था के अतिरिक्त भी सब प्रकार के लोगा की उपस्थिति का प्रयास करना है।
17. आप मेरे भाषण के पूर्व टेप या सी.डी. का उपयोग कर सकते है। यदि किसी कारणवश मुझे पहुँचने में विलम्ब हो जावे ता आप टेप या सी. डी. चालू कर दें। मैं आकर सम्हाल लूंगा।
18. आप एक कार्यक्रम के जीप व्यय हेतु दो सौ रूपया द सकते हैं। आप अपना खर्च या तो चंदा से कर सकते ह या आयोजक कर सकते हैं।
19. हमारे साथ बड़ी मात्रा में सस्ता तथा लोक स्वराज्य उपयोगी साहित्य रहेगा। कुल साहित्य बिक्री पर तीस प्रतिशत राशि आपको स्थानीय खर्च सहयोग हेतु मिल सकेगी।
20. सम्पूर्ण कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीति मुक्त है। सभी शासकीय कर्मचारी, जज, विधायक, सासद सबको आने हेतु प्रेरित करें।
21. कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु बड़ी मात्रा में पम्पलेट, पोस्टर तथा कछ दीवार लेखन भी करा सकते हैं।

लोक स्वराज्य यात्रा
पम्पलेट का प्रारूप
श्री बजरंगलाल अग्रवाल

जो–

1. रामानुजगंज, सरगुजा, छत्तीसगढ़ निवासो है।
2. जिन्होंने पंद्रह वर्ष तक रामानुजगंज में पहाड़ी के नीचे आश्रम में बैठकर भारत की सभी प्रमुख समस्याओं की पहचान, कारण आर निवारण का अनुसंधान किया है।
3. जिन्होंने वर्तमान संविधान की धाराओं में व्यापक संशोधन करके भारत का प्रस्तावित संविधान तैयार किया है ।
4. जिन्होंने अपराधो की एक निश्चित और नई परिभाषा बनाकर उस पर रामानुजगंज शहर में सामाजिक प्रयोग किया तथा अपराध नियंत्रण में बड़ी सफलता पाई है।
5. जिन्होंने महंगाई, मुद्रास्फीति, दहेज, मूल अधिकार, शिक्षा का चरित्र पर प्रभाव, धर्म निरपेक्षता आदि की प्रचलित परिभाषाओं को अवज्ञानिक घोषित करके वैज्ञानिक परिभाषाएँ प्रचारित की हैं। इसी तरह समाज शब्द की भी नई व्याख्या प्रस्तुत करके शासन की अपेक्षा समाज को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया है।
6. जिन्होंने घोषित किया है कि सुरक्षा और न्याय प्रदान करने में विफल लोकतांत्रिक सरकारें अपनी सुरक्षा के लिये दस प्रकार का नाटक करती हैं। ये सभी नाटक एक ओर तो जनता को भ्रम में रखते हैं। दूसरी ओर नई नई समस्याएँ भी पैदा करते है।
7. जिन्होंने घोषित किया है कि अब समय आ गया है कि लोकतंत्र (संसदीय लोकतंत्र) में मुक्ति पाकर लोक स्वराज्य प्रणाली (सहभागी लोकतंत्र) की व्यवस्था भारत में तत्काल शुरू की जानी चाहिये।
8. जिन्होंने लोक उम्मीदवार के रूप में रामानुजगंज शहर के नगर परिषद (नगर पंचायत) का चुनाव जीतकर वहाँ चार वर्षो तक लोक स्वराज्य व्यवस्था स्थापित की तथा वह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा।
9. जिन्होंने भारत में लोकतंत्र (संसदीय) के स्थान पर लोक स्वराज्य (सहभागी लोकतंत्र) प्रणाली स्थापित होने के लिये संवैधानिक एवं अहिंसक मार्ग की पांच वष की निश्चित योजना प्रस्तुत की है।
10. जिन्होंने अठाइस अगस्त दो हजार तीन को बापू कुटी सेवाग्राम, वर्धा, से कई विद्वानों के साथ मिलकर यह अभियान प्रारंभ भी किया है।
11. जिन्होंने उक्त अभियान के अन्तर्गत तीस जनवरी दो हजार चार को गांधी समाधो स्थल राजघाट नई दिल्ली से चार माह की वाहन यात्रा प्रारंभ की है जो चार माह बाद स्वामी दयानन्द निर्वाण स्थल अजमेर में समाप्त होगी।

सम्पूर्ण क्रान्ति के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की समयबद्ध, तथा परिणाम मूलक योजना को साकार करने में आपके साथ विचारा का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से वही बजरंगलाल लोक स्वराज्य यात्रा के क्रम मे आपके शहर में भी आ रहे हैं। आप निश्चित समय तथा स्थान पर आकर कार्यक्रम में शामिल होने की कृपा करे।

स्वतंत्रता सिर्फ पड़ाव हैं, मंजिल नहीं

लेखक रामबहादुर राय

रामानुजगंज के प्रयोग ने लोक स्वराज्य मंच के विचार को नया बल दे दिया है। उस विचार को फैलाने के लिए पिछले दिनों एक यात्रा प्रे देश में निकाली गई। यह लोक स्वराज्य यात्रा थी। इस यात्रा के दो नेता थे हालांकि इसमें कुछ और लोग भी पूरी यात्रा में साथ थे। ठाकुरदास बंग और बजरंग लाल अग्रवाल यात्रा से पहले ठाकुरदास बंग ने एक पत्र जारी किया। हमें लोक स्वराज्य यात्रा की जरूरत बताई गई है। देश के कुछ प्रमुख विचारकों ने गंभोर विचार मंथन के बाद निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान सभी समस्याओं का समाधान लोक स्वराज्य प्रणाली से ही संभव है। इसमें साफ हैं कि यह यात्रा उस सपने को याद दिलाने के लिए थी जो आजादी की लड़ाई के दौरान देखा गया था।

लोक स्वराज्य आजादी के बाद भी एक सपना बनकर रह गया है। उसे सरकारें याद नहीं करतीं। राजनीतिक दल उससे दूर ही रहना चाहते हैं। इसे समझना कठिन नहीं हैं। लोक स्वराज ऐसा दर्पण है जिसमें सरकारों और दलों का अपना विद्रुप चेहरा सामने आ जाता है। ऐसे दर्पण से वे दूर रहते ह तो इसमें आश्चर्य क्या है। उसी प्रणाालीकी अनिवार्यता को समझााने के लिए यह यात्रा थी। इस यात्रा में महात्मा गांधी की उन बातों को याद दिलाया गया जब उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता सिर्फ पड़ाव है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो स्वराज है। इससे वह साफ हो जाता है कि अब तक हमने स्वतंत्रता ही पाई हैं। स्वराज्य पाना बाकी है। जो लोकतंत्र चल रहा है वह स्वराज्य कायम नहीं करता। लोक स्वराज्य यात्रा के दौरान जिस बात पर बल दिया गया वह यह था कि इस लोकतांत्रिक प्रणाली का लक्ष्य सुराज्य है। उसके लिए अधिकारों का लगातार हर स्तर पर केंद्रीयकरण हो रहा है। शासन तंत्र शक्तिशालो हो रहा है। उसी अनुपात में जनता अधिकार विहीन होती जा रही है। परिणाम यह हो रहा है कि न सराज्य कायम हो पाया और न स्वराज्य का लक्ष्य हासिल हो सका। आर्थिक असमानता, शोषण, भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा जैसी समस्याएं इस प्रणाली में बढ़ती ही जा रही है।

इसमे लोक स्वराज्य ही विकल्प दिख रहा है। जिसे विकल्प बताया जा रहा है वह सचमुच विकल्प है या नहीं, इस पर बहस की जरूरत है। ठाकुरदास जी बंग भी खुद इसका दावा नहीं कर रहे हैं। उनका पत्र विचारको के निष्कर्ष की सूचना दे रहा है। लोक स्वराज्य प्रणाली नई खोज नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि शासन के अधिकार सीमित हों। व्यक्ति, परिवार, गांव से राष्ट्र तक अपने दायरे में निर्णय के लिए स्वतंत्र हों। यह ऐसी प्रणाली होगी जिसमें स्वायत्ता और स्वतंत्रता का समन्वय होगा। ठाकुरदास जी बंग एक अनुभव सिद्ध सवोदयी नेता हैं। उनकी उम्र छियासी साल है। ऐसा व्यक्ति जब किसी विचार को फैलाने के लिए यात्रा करता है तो उसमें उसकी गहरी निष्ठा काम करती है। उनके साथ दूसरे व्यक्ति जो यात्रा पर निकले वे बजरंगलाल अग्रवाल हैं जो रामानज़गंज की नगरपालिका के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की यह नगरपालिका लोक स्वराज्य प्रणाली की पौधशाला बन गई है। वे वहॉ लोक उम्मीदवार थे। चुनाव जीते। पांच साल के कार्यकाल में जितना काम किया जाना चाहिए उसे दो साल में पूरा कर दिखाया। अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण किया। एक घोषणा की कि काम मतदाता करेंगे। इसका ही चमत्कारी प्रभाव पड़ा। पंद्रह वार्डो की इस नगरपालिका में नई रीति बन गई है सभा सद के इर्दगिर्द फैसले नहीं होते। हर वार्ड के लोग खुली चर्चा कर तय करते ह कि वहॉ कौन सा काम पहले हो।

इस नगरपालिका का काम एक परिवार जैसा चल रहा है। कोइ नागरिक किसी काम के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। अध्यक्ष ने अपने काम के बारे में जनादेश प्राप्त किया। इसकी उनका जरूरत नहीं थी पॉच साल का कार्यकाल मिला है। उसके बीच में ही एक फैसला अपने लिए किया कि हर साल जनादश प्राप्त करेंगे । उसके तहत् ही नया जनादेश लिया। लोगो को व्यापक जनाधार देने के बारे में जब सोचा गया था तो एक उपाय सामने आया था कि आम मतदाता को अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। इसे ''दूसरी आजादी'' के नेताओं ने भी नहीं माना। बजरंगलाल अग्रवाल ने इसके विपरीत एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जिस सफलता से सर्वोदय के नेता उत्साहित है वह रामानुजगंज में 1994 से चल रहा है। लेकिन बजरंगलाल अग्रवाल को अचानक सफलता नहीं मिली है। उन्हें इसके लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। वे दलों से निराश हुए। उनसे नाता तोड़ा। दलीय राजनीति से बाहर आए। ज्ञान यज्ञ मंडल बनाया। उसका लक्ष्य था कि नागरिक जीवन ओर सुशाासन को बेहतर बनाना है। सामाजिक समस्याओं को हल करना है। जब सामाजिक समस्याओं का सवाल आया तो उसके लिए एक अनुसंधान केन्द्र बनाया। इस केन्द्र से भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है यह एक अनौपचारिक केन्द्र था। लक्ष्य को पाने का अभिनव प्रयोग। एसे कइ पयोगों से रामानुजगंज गुजरा है। वहॉ चारों तरफ अपराध का खतरा लोगों पर मंडराता रहता था। उसे कम करने के लिए नागरिक महा संघ बना। उसने पहल की। अपराधियों को पहचान–पहचान कर उन्हें तीन नम्बरी घोषित किया। इससे अपराध घटे। लेकिन पुलिस और पशासन इस बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने इसके सूत्रधार को ही अपराधों में फसा दिया। अत्याचार पर अत्याचार हुये। जिस बजरंगलाल अग्रवाल को नये प्रयोगों का मसीहा माना जा रहा है उसे पुलिस ने तमाम उल्टे–सीधे मामलों में फासा। वह तो एक जनहित याचिका थी जिसने उन्हें बचाया।

वहॉ से बदलाव की धारा शुरू हुई। पुलिस ओर प्रशासन में आत्मग्लानि उभरी। व नागरिक महासंघ के सहयोगी बने। नये सहयोग की जो शुरूआत हुई उसने ही रामानुजगंज का चेहरा बदल दिया। अब वहॉ के नागरिक अपने अध्यक्ष को दूत के तौर पर देश के दूसरे हिस्सों में भेजने के लिए तत्पर है ताकि लोक स्वराज्य प्रणाली का प्रचार हो सके। जिन दिनों रामानज़गंज का प्रयोग चल रहा था उसी दौर में एक लोक स्वराज्य मंच अस्तित्व में आया। यह तीन साल पहले की बात है। इस मंच ने माना है कि वर्तमान व्यवसायी को बदलने की जरूरत है। लोक स्वराज्य व्यवस्था ही सबसे अच्छी है। इसी मंच का पहला वैचारिक सम्मेलन सेवाग्राम वर्धा में पिछले मार्च में हुआ। इस सम्मेलन में हो लोक स्वराज्य यात्रा का विचार बना। इस बात पर वहॉ आम राय थी कि जनमत के बल पर यह काम होना चाहिये। इसके लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है।

ठाकुरदास जी बंग इस यात्रा को सर्व सेवा संघ की वैचारिक दिशा में उठा कदम मानते हैं। संघ शोषण और शासन मुक्त समाज रचना के लिए बना था। यह बात दूसरी है कि उसके तमाम प्रयासों के बावजूद शोषण भी बढ़ा और शासन की जकड़ भी। अब ऐसे समय में लोक स्वराज्य की जरूरत पहले से ज्यादा है। शासन मुक्ति का ही दूसरा नाम लोक स्वराज्य है। इसका पहला जंग जे.पी. ने लड़ा था। 1959 मे उन्होंने भारतीय राज्य की पुनः रचना का विचार सामने रखा। उसमें सुझाव थे कि राजनीतिक ढाचे में कैसे सुधार हो। उस वक्त जे.पी. पर कई तरह की टीका – टिप्पणी भी हुई। किसी ने उन्हें लोकतंत्र का शत्रु भी कहा। उस समय संसदीय लोकतंत्र में ही सारी संभावनाएं देखी जाती थी । जयप्रकाश नारायण जी के तब के विचार इस वक्त पलट कर देखे तो पता चलता है कि वे सचमुच भविष्यदृष्ट थे। उन्होंने देख लिया था कि संसदीय लोकतंत्र की अपनी सीमाएं ह। जे.पी. ने जिस लोक स्वराज्य की बात रखी थी उस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। हर शासन ने दिखावा कुछ और किया और काम कुछ और। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में पंचायती राज की बात चली। उसे नारे में बदल दिया गया। पंचायती राज कायम करने की न मंशा तब थी न आज है पंचायती राज के नाम पर सरकारी तंत्र का ही पोषण होता है । वहीं रास्ता अपनाया गया है । इस वक्त की सरकारें भी उसी रास्ते पर है । संविधान संशोधन के

बाद जो पंचायत व्यवस्था बनी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जवाहर लाल नेहरू के जमाने में विकास कार्यक्रमों को चलाने में जनता का सहयोग लने के लिए पंचायत की मदद ली गई। इस वक्त पंचायतों का जो गठन हुआ उसे लोकतंत्र का विकन्द्रीयकरण नहीं कहा जा सकता। केन्द्र व राज्यों की राजधानियों में जैसी सत्तात्मक राजनीति चल रहीं है उसी का फैलाव पंचायतों तक हुआ है । इसमें जनता की भागीदारी कहीं नहीं है।

लोकतंत्र का संकुचित आधार पहले भी था और आज भी है। जे.पी. ने जिसे उल्टा पिरामिड कहा था वह आज भी कायम है। जिस दिन जनता की भागीदारी होगी उस दिन लोकतंत्र का स्वरूप बदलेगा। लोक स्वराज्य की ओर वह बढ़ेगा। उसमें हर स्तर पर जनता का नियंत्रण होगा और सत्ता उसके हाथ में होगी। गॉव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रास्ता उससे ही खुलगा। इस तरह के लोकतंत्र से मौजूदा प्रणाली दहशत खाती है। उसका निहित स्वार्थ आड़े आता ह। जे.पी. ने जिस लोक स्वराज्य की बात की उसे साकार करने के लिए उन्होने सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया। उन दिनों जनता सरकार के जो प्रयोग उन्होने सुझाये वे इसी दिशा में थे। उन प्रयोगों के लिए तब समय नहीं मिला। जे.पी. के जाने के बाद उनके समर्थकों ने लोक स्वराज्य संघ बनाया लेकिन वह उस दिशा में कुछ ठोस कर पाता उससे पहले ही मतभेद इतने गहरे हुये कि वह काम स्थगित हो गया। लोक स्वराज्य की अवधारणा पुरानी है। कुछ लाग इसे वैदिक अवधारणा मानते हैं। ऐसे लोग यकीन करते है कि स्वामी दयानंद ने इसे आर्य समाज आंदोलन में स्थान दिया। राजनीतिक बहस म उतारा। उसके बाद महात्मा गांधी ने इसे आजादी का सबसे बड़ा सपना माना हैं। विनोबा, धीरेन्द्र, मजूमदार, और जे.पी. ने उसे आगे बढ़ाया।

दो तीन अवसर आये जब लगने लगा था कि लोक स्वराज्य एक समानांतर सत्ता बन सकेगी। उसके दबाव में संसदीय लोकतंत्र में सार्थक बदलाव आयेगा। ऐसा अवसर एक बार भूटान आंदोलन के दौरान दिखा और दूसरी बार जे.पी. आन्दोलन के दिनों में। जनता पार्टी की सरकार के दौरान तीसरा अवसर आया और हाथ से निकल गया। इन खोये हुए अवसरों से लोक स्वराज्य विचार की प्रासंगिकता अप्रभावित है। भूमंडलीयकरण के दौर ने उसे ज्यादा प्रासंगिक बनाया है। यह भी साफ हुआ है कि संसदीय लाकतंत्र और लोक स्वराज्य के रास्ते अलग अलग है। वे समानांतर है। उनमें मिलन क्षितिज के छोर पर ही हो सकता है। ठाकुरदास जी बंग और बजरंगलाल अग्रवाल की महोने भर जो यात्रा हुई उससे लोक स्वराज्य पर बहस नहीं छिड़ सकी है। दिल्ली में आर्यभूषण भारद्वाज ने बहुत जोर लगाया। उससे इतना ही हुआ कि एक गोष्ठी हो सकी। यह विचार उन्हीं लोगों में फिर से एक बार चर्चा में आया जो इससे पहले से मानते रहे हैं। जरूरत इसे एक जन आन्दोलन बनाने का है।

जनसत्ता दिल्ली 25 अक्टूबर 2003

सर्वोदय आंदोलन : अगला कदम
कटक सर्वोदय सम्मेलन का सर्व सम्मत प्रस्ताव

देश के सार्वजनिक जीवन में लगातार गिरावट आ रही है। मानो सारा देश एक फिसलन भरी ढ़लान पर, बगैर सहारे के छोड़ दिया गया है। दलों व सरकारों के बदलने से इस पतन की दिशा और दशा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बल्कि हर परिवर्तन पुराने से कुछ बुरा ही साबित हो रहा है। व्यवस्था न बदले तो सरकारें बदलना समाज परिवर्तन के संदर्भ में अर्थहीन होता है, यह बात आईने की तरह साफ हो गई है। जयप्रकाश जी ने इसी संदर्भ मे नागनाथ–सांपनाथ का उदाहरण हमारे सामने रखा था। नागनाथों–सांपनाथों की अदला–बदली का खेल खेलते–खेलते, 50 सालों में, देश में एकदम अराजकता की स्थिति आ गयी है। सरकारें बनी हुई हैं लेकिन एकदम अप्रभावी हैं, व्यवस्थापक कुर्सियों पर बैठे हैं लेकिन व्यवस्था जैसा कुछ बचा नहीं है।

यह भारतीय समाज के बिखरने की घड़ी है और ऐसे में सांप्रदायिकता का घातक खेल खेलनेवाली ताकतें इस कोशिश में लगी है कि भारतीय समाज की संरचना को बिखेर कर उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया जाये। राष्ट्रद्रोह सरीखी इस कोशिश को राष्ट्रवाद का नाम दिया जा रहा है। व्यक्ति व समाज में छिपी इस तरह की संकीर्णता को उभरकर हिद्त्व की ताकतें जो माहौल बना रही हैं वह उसी तरह का है जैसा जिन्ना ने मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया था और अंततः देश का विभाजन हुआ था। सांप्रदायिकता मुस्लिम हो या हिंद् या कोई और हमेशा मनुष्यता को अपमानित करती व समाज को तोड़ती है। सांप्रदायिक शक्तियों की दूर भी संधि यदि इस बार भी सफल हुई तो पता नहीं देश के कितने टुकड़े होंगे और कितना भयंकर सामाजिक विद्वेष फैलेगा।

गांधी जी विनोबा जी जयप्रकाश जी की दिशा में काम करने वाली हमारी जमात अब तक जिस गति व योजना से काम कर रही है, वह परिस्थिति की मांग से कम साबित हो रही है। हमें अपनी गति व योजना में बड़ा परिवर्तन करना होगा। हम देख रहे हैं कि समाज में अपराध व हिंसा का स्वरूप दानवी होता जा रहा है। नागरिक जीवन क्षुब्ध हिंसा का शिकार है तो शासन–प्रशासन के तमाम छोटे–बड़े लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजनीति में सबसे बड़ी नीति कुर्सी पर बने रहना है और समाज में सबसे बड़ी नैतिकता आर्थिक हैसियत बनाना है। इन दोनों ने मिलकर समाज में कोई नैतिक प्रतिमान बचा रहन ही नहीं दिया है।

नयी आर्थिक नीति का एक ही परिणाम सामने आ रहा है। व्यापक रूप से समाज के संसाधनों की लूट। राष्ट्रीय व बहु राष्ट्रीय कंपनियॉ इस लूट में लगी हैं और सरकार उनका रास्ता साफ कर रही हैं। राजनीतिक इकाई के रूप में गांवों की कोई हैसियत ता थी ही नहीं, अब जीने के प्राकृतिक संसाधन भी उनसे छीने जा रहे है। जमीन नहीं, जंगल नहीं, पानी नहीं, अनाज नहीं, पूँजी नहीं, बीज नहीं, खाद नहीं, भाव नहीं, बाजार नहीं – मतलब गॉव क पास जीने का कोई आधार नहीं। किसानों की आत्महत्या और भयंकर बेरोजगारी से पैदा हिसा और अपराध की जड़ यहां हैं। हमारे गॉव–नगर देश के दिशाहीन वर्तमान व अंधेरे भविष्य के प्रतीक है।

लोकतंत्र में लाचार नागरिक का अंतिम संरक्षण संविधान में होता है, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन हर दल व सरकार ने हमारे संविधान का अपमान व उल्लंघन किया है। सत्ता के भयंकर केन्द्रीयकरण के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं करीब–करीब अर्थहीन हो गयी है। संविधान की आत्मा उसक नीति–निर्देशक तत्व में बसती है। आजादी के बाद बनी तमाम सरकारे धारा 37 से 51 में उल्लेखित नीति–निर्देशक तत्वों की अनदेखी करन की अपराधी है। यह इसलिये संभव हुआ, क्योंकि संविधान की इस आत्मा को अदालत संरक्षण प्राप्त नहीं है। संविधान में ऐसा संशोधन जरूरी है कि जिससे इस धारा के उल्लंघन के लिए अदालते सरकारों को जवाबदेह बना सकें। इसी प्रकार संविधान में गांवों के अधिकार व उनके संरक्षण की कोई व्याख्या नहीं है। प्रतिनिधि वापसी का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवारों को खारिज करने का अधिकार आदि अनेक परिवर्तनों के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। अपनी सुविधा व स्वार्थ के लिए संविधान में बराबर संशोधन करने की जरूरत है। अपनी सुविधा व स्वार्थ के लिए संविधान में बराबर संशोधन करने वाले दलों में से कोई भी उपरोक्त संशोधनों के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दल भले अलग–अलग हो, उनकी आत्मा एक ही है।

चार राज्यों में अभी–अभी हुए चुनावों के परिणामों ने इन्हीं दलों को ज्यादा बड़ा खेल खेलने का मौका दे दिया है। जल्दी ही दूसरे राज्यों के भी और केन्द्र के चुनाव भी आ रहे हैं। सारे देश में गहरे उथल–पुथल, झुठ और छद्म का दौर चलेगा। इसलिए हम परिवर्तन की दिशा में लोगों को संगठित व सक्रिय करने की अपनी कोशित ज्यादा तेज करे, यह वक्त की मॉग है। सवाल हमारे सामने भी है– क्या हम आने वाले एक साल में अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी प्रतिभा व अपनी पूरी शक्ति लगाकर ऐसा माहौल बना सकते हैं कि जिसमें सच्चे लोकतंत्र के बुनियादी सवाल, जनता के अपने

सवाल बन जायें? क्या हम ऐसा जागरण पैदा कर सकते हैं कि जनता के सवालों के बारे में अपनी ईमानदारी प्रतिबद्धता घोषित किये बगैर कोई भी व्यक्ति या दल जनता से वोट मांगने की हिम्मत न कर सके ? ऐसी परिस्थिति बनाना अपने लिए संकल्प और उनके लिए चुनौती होगी।